कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग, राजस्थान, जयपुर

प्रेस नोट

01.01.2004 के पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर लागू राजमेडिक्लेम पॉलिसी का वर्ष 2012–13 के लिए नवीनीकरण किया गया है । वर्ष 2012–13 की पॉलिसी में निम्न संशोधन किये गये हैं जो 01.04.2012 से प्रभावी होंगे :–

(i) माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012–13 के बजट में की गयी घोषणा के सम्बन्ध में तत्परता से कार्यवाही करते हुए बीमाधन रू0 1 लाख से बढाकर रू0 2 लाख किया गया है ।

(ii) अस्पताल से छुट्टी के पश्चात दावा टी.पी.ए. को प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिन से बढाकर 90 दिन कर दी गयी है ।

(iii) प्री व पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की अवधि क्रमशः 10 व 20 दिवस से बढाकर 30 व 45 दिवस कर दी गयी है ।

(iv) बीमित द्वारा अनुमोदित चिकित्सालय में भर्ती के समय बीमित द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भरा जाना आवश्यक है । यह आवेदन पत्र प्रत्येक अनुमोदित निजी चिकित्सालय के रिसेप्शन काउण्टर पर उपलब्ध है ।

(v) 27 निजी चिकित्सालयों को अनुमोदित किया गया है । पूर्व के तीन चिकित्सालय (i) फोर्टिस हॉस्पिटल, जयपुर (ii) लाईफ लाईन, अलवर (iii) कोठारी रिसर्च सेण्टर एवं हॉस्पिटल बीकानेर को अनुमोदित नहीं किया गया ।

(vi) यदि बीमित द्वारा ऐसे चिकित्सालय में ईलाज करवाया जाता है जो राज्य सरकार द्वारा “Rajasthan Civil Services Medical Attendance Rules 2008” के तहत तो अनुमोदित है परन्तु चिकित्सालय द्वारा CGHS दर पर कार्य करने की सहमति नहीं दिये जाने के कारण मेडिक्लेम पॉलिसी में विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है, तब बीमित को मात्र CGHS दर पर ही भुगतान किया जायेगा । अन्तर राशि बीमित द्वारा ही वहन की जायेगी ।

मेडिक्लेम पॉलिसी वर्ष 2012–13 के संचालन के लिए अनयुता टी.पी.ए. नियुक्त है, जिसका पता निम्न प्रकार है:

अनयुता टी0 पी0 ए0
बी–204, अमृत कलश, गोपालपुरा,
टोंक रोड, जयपुर ।
फैक्स नं0 – 0141 – 2700792, फोन नं0 – 0141 – 6596565
टोल फ्री नं0 – 1800 425 1111
हैल्पडेस्क मोबाइल नं0 – 8764176164
ईमेल – jaipur@anyutatpa.com, cashless@anyutatpa.com

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in या www.anyutatpa.com पर उपलब्ध है ।

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा नि विभाग
राजस्थान, जयपुर